संख्या–1725/तीस–3–10–75बी/2000टीसी

प्रेषक,

शिवानन्द ओझा
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2010

विषयः–वर्ष 2010–11 में परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत (विभागीय कम्प्यूटरों की कनेक्टिविटी हेतु) वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–51ए/2010–अस्थाई लेखा/09 दिनांक 13 मई, 2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा 73 परिवहन कार्यालयों के कम्प्यूटरों की कनेक्टिविटी तथा रिकरिंग व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2010 के आयोजनागत पक्ष में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के मद में प्रावधानित धनराशि रू0 140346000.00 के सापेक्ष 73 परिवहन कार्यालयों के कम्प्यूटरों की कनेक्टिविटी हेतु धनराशि रू0–73,00,000.00(रूपये तिहत्तर लाख) तथा रिकरिंग व्यय हेतु रूपये 18,25,000.00 (रूपये अठारह लाख पच्चीस हजार मात्र), अर्थात् कुल धनराशि रू0, 91,25,000/– की (रूपये इक्यानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि परिवहन आयुक्त अंतिम आगणन उपलब्ध करायेंगे तथा यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित की जायेगी। स्वीकृति की गयी धनराशि को निर्धारित मानकों के अनुसार वित्तीय नियमों/प्रकियाओं का अनुपालन करते हुए व्यय किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायगा जिसके लिए स्वीकृति की गयी है।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–43 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3055–सडक परिवहन आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान व्यय–46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामें डाला जाएगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0पंजी0 संख्या–ई–9–345/दस–2010 दिनाक 15 जुलाई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिवानन्द ओझा)
विशेष सचिव।